रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 1974/चैत्र 26, 1896

No. 91] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 1974/CHAITRA 26, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th April 1974

SUBJECT:—*Application Fees for import licences—Crediting of—Head of Account.*

No. 54-ITC(PN)/74.—Attention is invited to paragraph 163(3)(i) of Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1974—March 1975 and paragraph 10(7) of Chapter II of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1974-75, in terms of which application fees for an import licence is required to be paid for credit to the Central Government under the Head "Import Licence application Fees" subordinate to the Major Head "XXXII—Miscellaneous Social and Developmental Organisation".

2. It is hereby notified that the Major Head of account mentioned in paragraph 1 above has been changed with effect from 1st April, 1974 to "104—Other General Economic Services". The Treasury or Bank Receipt must also show the name of the Department viz. "Import and Export Trade Control Organisation".

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1974

विषय.—आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन शुल्क—जमा करने का लेखा शीर्ष.

सं० 54-आई० टी० सी० (पी एम)/74.—अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० 1) की कंडिका 163(3)(1) और 1974-75 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रिया विधि हैंड बुक, की कंडिका 10(7) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार के माल के लिए आयात लाइसेंस के लिए अपेक्षित आवेदन शुल्क मुख्य शीर्ष "32—मिसलेनियस सोशल एण्ड डिवलपमेंट आर्गेनाइजेशन" के अधीन "आयात लाइसेंस आवेदन शुल्क" शीर्ष के अन्तर्गत अदा किया जाना चाहिए।

2. एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त कंडिका 1 में उल्लिखित मुख्य लेखा शीर्ष को 1 अप्रैल, 1974 से परिवर्तित करके "104—अदर जनरल इकानामिक्स सर्विसेज" कर दिया गया है। राजकोष चालान या बैंक रसीद में विभाग का नाम अर्थात् "आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन" का संकेत अवश्य किया जाना चाहिए।

एम० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974